न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या RAS

प्रार्थना पत्र सं. 63/2023

अनुवान दलाराम बनाम राजस्थान राज्य

आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 113, 128

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 16/05/2025

1. दलाराम पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्रामः मोजारार छोटा तहसील मानीपुरा जिला चूरु
2. मोहरसिंह पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्रामः मोजारार छोटा तहसील मानीपुरा जिला चूरु

– प्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भानीपुरा जिला चूरु (राजस्थान)
2. सहायक अभियन्ता आपणी योजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,सरदारशहर जिला चूरु (राज)

–अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–

1. श्री चुंन्नीलाल मेघवाल विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण
2. एकपक्षीय कार्यवाही वास्ते अप्रार्थी सं. 2
2. पैरोकार राज

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम की शामिल खातेदारी व कब्जा–काश्तकारी की कृषि भूमि खेत खाता सं. 462 खसरा संख्या 191 क्षेत्रफल 1.5400 हैक्टेयर बा. प्रथम, खसरा न 192 क्षेत्रफल 0.4900 मे.मु टंकी, खसरा नं. 193 क्षेत्रफल 1.2000 बा. प्रथम, खसरा नं 194 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर गे.गु. सडक, खसरा नं 195 क्षेत्रफल 0.0200 मैं मु सडक कुल खसरा 5 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर रोही ग्राम साडासर में बहिस्सा बराबर–बराबर की राजस्व अभिलेख के अनुसार स्थित चली आ रही है। प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि को जरिए बेनामा खरीद की है और नामान्तरकरण सं. 312 दिनाँक 20 फरवरी 2023 राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार अमल दरामद किया हुआ दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि तारबन्दी कर सींव मजबूत करना चाहते है, जिसका उनको प्रथम दृष्टया अधिकार हासिल है जो विधि में वांछित प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल है। प्रार्थीगण की खसरा नं. 192 में अप्रार्थी सं. 2 से सम्बन्धित

अधिकारी

पानी की टंकी प्रार्थीगण द्वारा खरीद किए जाने से पूर्व खातेदार के समय से स्थित चली आ रही है और सार्वजनिक रूप से आमजन को पानी उपलब्ध होता है। इसलिए अप्रार्थी सं. 2 को पक्षकार वाद बनाया गया है, हालांकि उनके विरूद्ध कोई हानिकारक अनुतोष नहीं चाहा गया है और सीमाचिह्न व पुख्ता तारबन्दी व पत्थरगढ़ी किए जाने से प्रार्थीगण पूर्व से चली आ रही जल की सेवा में कोई व्यवधान उत्पन्न करने के अधिकारी नहीं होंगे। हाल ही में प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरान की भूमि का अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार भानीपुरा के आदेश क्रमांक भू.अ./2023/2407/दिनाँक 19 अप्रैल 2023 की पालना में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का माप व सीमांकन दिनाँक 06 मई 2023 को किया गया और सम्बन्धित पटवारी ने मौके पर जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया व सीमा चिह्न बताए गए। रिपोर्ट की प्रति इस प्रार्थना–पत्र के साथ वारते अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर, शासकीय नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं, जिस हेतु पटवारी हल्का द्वारा दिए गए सीमाज्ञान व सीमाचिह्न के अनुरूप मौके पर पत्थरगढ़ी कायम किए जाने के लिए आदेश देने में आप न्यायालय श्रीमान् सक्षम है। इसलिए यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से नियमानुसार प्रस्तुत है।

जब प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी, तारबन्दी व सीमाचिह्न कायम नहीं किए जाते हैं तब तक प्रार्थीगण अपने–अपने हक हिस्से की कृषि भूमि को काश्त नहीं कर सकेंगे और इसके अभाव में की जाने वाली काश्त अथवा फसल नष्ट हो जाएगी अथवा आवारा जानवरों–पशुओं द्वारा खराब व नष्ट कर दिया जावेगा। इसलिए प्रार्थीगण की कृषि भूमि का पटवारी द्वारा निर्देशित सीमाचिह्न, पत्थरगढ़ी व तारबन्दी किए जाने हेतु आदेश दिए जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। समुचित आदेश के अभाव में प्रार्थीगण की कृषि भूमियों सुरक्षित व संरक्षित नहीं की जा सकेगी। इसलिए प्रार्थीगण सीमाचिह्न, पत्थरगढ़ी व तारबन्दी किए जाने हेतु उचित आदेश प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खाता सं. 462 खसरा संख्या 191 क्षेत्रफल 1.5400 हैक्टेयर बा.प्रथम, खसरा नं. 192 क्षेत्रफल 0.4900 गै.मु. टंकी, खसरा नं. 193 क्षेत्रफल 1.2000 बा. प्रथम, खसरा नं. 194 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर गै.मु. सङक, खसरा नं. 195 क्षेत्रफल 0.0200 गै.मु. सड़क कुल खसरा 5 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर रोही ग्राम साडासर का पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक निर्देशित सीमाचिह्न के आधार पर नियमानुसार पुख्ता पत्थरगढ़ी व तारबन्दी कायम करवाई जाने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन सशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार राज ने उपस्थित आकर फर्द अहकाम पर अंकन किया "पत्थरगढ़ी करवाते है तो राज को कोई आपत्ति नहीं है।" अप्रार्थी सं. 2 को बार–बार अवसर प्रदान करने के बाजजूद उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण व पैरोकार राज सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थीगण के नाम की शामिल खातेदारी व कब्जा–काश्तकारी की कृषि भूमि खेत खाता सं. 462 खसरा संख्या 191 क्षेत्रफल 1.5400 हैक्टेयर बा. प्रथम, खसरा न 192 क्षेत्रफल 0.4900 मे.मु टंकी, खसरा नं. 193 क्षेत्रफल 1.2000 बा. प्रथम, खसरा नं 194 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर गे.गु. सडक, खसरा नं 195 क्षेत्रफल 0.0200 मैं मु सङक कुल खसरा 5 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर रोही ग्राम साडासर में बहिस्सा बराचर–बराबर की राजस्व अभिलेख के अनुसार स्थित चली आ रही है। प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि को जरिए बेनामा खरीद की है और नामान्तरकरण सं. 312 दिनाँक 20 फरवरी 2023 राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार अमल दरामद किया हुआ दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि तारबन्दी कर सींव मजबूत करना चाहते है। प्रार्थीगण के खेत खाता सं. 462 खसरा संख्या 191 क्षेत्रफल 1.5400 हैक्टेयर बा.प्रथम, खसरा नं. 192 क्षेत्रफ़ल 0.4900 गै.मु. टंक़ी, खसरा नं. 193 क्षेत्रफल 1.2000 बा. प्रथम, खसरा नं. 194 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर गै.मु. सङक, खसरा नं. 195 क्षेत्रफल 0.0200 गै.मु. सड़क कुल खसरा 5 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर रोही ग्राम साडासर की पुख्ता पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया। जिसके प्रार्थीगण खातेदार होने से अपने खेत की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकारी है। जिसका खर्चा प्रार्थीगण वहन करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र के तथ्यों, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख व प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन व गौर किया गया। पैरोकार राज के जबाब का परिशीलन किया गया। वर्णित विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित पाया गया कि प्रार्थीगण के खेत खाता सं. 462 खसरा संख्या 191 क्षेत्रफल 1.5400 हैक्टेयर बा.प्रथम, खसरा नं. 192 क्षेत्रफल 0.4900 गै.मु. टंकी, खसरा नं. 193 क्षेत्रफल 1.2000 बा. प्रथम, खसरा नं. 194 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर गै.मु. सङक, खसरा नं. 195 क्षेत्रफल 0.0200 गै.मु. सड़क कुल खसरा 5 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर रोही ग्राम साडासर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र पुष्ट व प्रमाणित पाया जाता है फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि वह दक्ष पटवारियों व गिरदावरों की टीम गठित कर प्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 191 क्षेत्रफल 1.5400 हैक्टेयर बा.प्रथम, खसरा नं. 192 क्षेत्रफल 0.4900 गै.मु. टंकी, खसरा नं. 193 क्षेत्रफल 1.2000 बा. प्रथम, खसरा नं. 194 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर गै.मु. सडक, खसरा नं. 195 क्षेत्रफल 0.0200 गै.मु. सड़क कुल खसरा 5 क्षेत्रफल 3.3300 हैक्टेयर रोही ग्राम साडासर तहसील भानीपुरा की पत्थरगढी की जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम किये जाकर एवं पेमाईश कराकर पुख्ता पत्थरगढी करावे। पेमाईश एवं पत्थरगढी का समस्त खर्चा प्रार्थीगण वहन करेंगे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भानीपुरा को भिजवाई जावे। विवाद की स्थिति में पुलिस इमदाद से निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाये।

दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 16/05/25 लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)